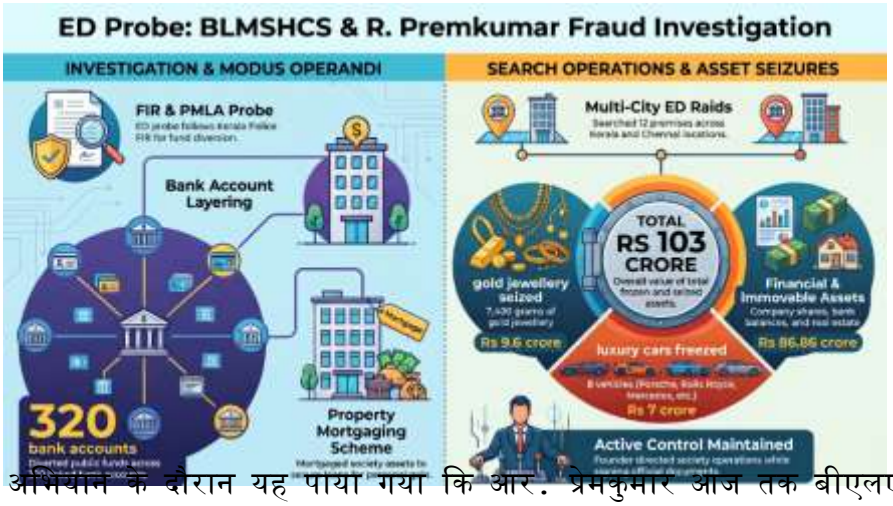
<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>05.11.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 04.11.2026 को भारत लजना मल्टी स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बीएलएमएसएचसीएस) तथा इसके संस्थापक आर. प्रेमकुमार से संबंधित मामले में 12 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। ये परिसर एर्नाकुलम, कोझिकोड, त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम, मुन्नार और चेन्नई में स्थित थे। तलाशी का संबंध आर. प्रेमकुमार द्वारा बीएलएमएसएचसीएस की सार्वजनिक निधियों के गबन एवं धन शोधन से था। आरोप है कि उसने इन निधियों का उपयोग अपने नाम तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर परिसंपत्तियाँ अर्जित करने के लिए किया।

ईडी ने केरल पुलिस द्वारा आर. प्रेमकुमार, जो बीएलएमएसएचसीएस का संस्थापक सदस्य एवं वास्तविक रूप से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) था, तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि उसने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए सोसाइटी की सार्वजनिक जमाकर्ताओं से एकत्रित करोड़ों रुपये की राशि को अपने परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों के खातों में अंतरित किया, ताकि उनके नाम पर परिसंपत्तियाँ अर्जित की जा सकें। यह भी आरोप है कि बीएलएमएसएचसीएस की संपत्तियों को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया गया और उस धनराशि का उपयोग आर. प्रेमकुमार के परिवार के सदस्यों के नाम पर परिसंपत्तियाँ अर्जित करने तथा व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया। प्राथमिकी के अनुसार, अपराध से अर्जित आय लगभग ₹80 करोड़ है।

पीएमएलए के अंतर्गत ईडी की जाँच से पता चला है कि आर. प्रेमकुमार एवं उसके सहयोगियों द्वारा बीएलएमएसएचसीएस की धनराशि की लेयरिंग करने के लिए लगभग 320 बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था। इन खातों के विश्लेषण से पता चला है कि आर. प्रेमकुमार ने बीएलएमएसएचसीएस की सार्वजनिक निधियों को व्यक्तिगत लाभ के लिए तथा अपने परिवार के सदस्यों अथवा उनके नियंत्रण वाली संस्थाओं के नाम पर चल एवं अचल परिसंपत्तियाँ अर्जित करने हेतु अंतरित किया। यह भी पाया गया कि वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए बीएलएमएसएचसीएस की संपत्तियों को बंधक रखा गया और इस प्रकार प्राप्त ऋण राशि का उपयोग आर. प्रेमकुमार की व्यक्तिगत परिसंपत्तियाँ अर्जित करने के लिए किया गया। धनराशि के स्रोत को छिपाने के उद्देश्य से उसे विभिन्न खातों के माध्यम से परिचालित एवं लेयरिंग किया गया। बैंक खातों के आगे के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि बीएलएमएसएचसीएस की निधियों का दुरुपयोग सैकड़ों करोड़ रुपये तक पहुँचता है। इसकी सटीक राशि का निर्धारण किया जा रहा है।



तलाशी अभियान के दौरान यह पाया गया कि आर. प्रेमकुमार आज तक बीएलएमएसएचसीएस के कार्यकलापों को सक्रिय रूप से नियंत्रित कर रहा था। वह बीएलएमएसएचसीएस के कई वैधानिक

दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कर रहा था। तलाशी अभियान के दौरान लगभग ₹7 करोड़ मूल्य की 8 उच्च श्रेणी की लग्जरी कारें [पोर्शे, रोल्स-रॉयस, टोयोटा वेलफायर, महिंद्रा ईवी 9ई, मर्सिडीज आदि], लगभग ₹9.6 करोड़ मूल्य के 7,400 ग्राम वजन के स्वर्ण आभूषण, लगभग ₹80 करोड़ मूल्य के शेयर, लगभग ₹5 करोड़ मूल्य की अचल परिसंपत्तियाँ तथा लगभग ₹1.86 करोड़ की बैंक शेषराशि को जब्त/फ्रीज किया गया है। जब्त/फ्रीज की गई परिसंपत्तियों का कुल मूल्य ₹103 करोड़ है।

आगे की जाँच जारी है।